



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15062026-273466
CG-DL-E-15062026-273466

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2955]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 12, 2026/ज्येष्ठ 22, 1948

No. 2955]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 12, 2026/JYAISTHA 22, 1948

ग्रामीण विकास मंत्रालय

(भूमि संसाधन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जून, 2026

का.आ. 3061(अ).—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 3 के खंड (ड) के उप-खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा अधिसूचित करती है कि रक्षा मंत्रालय, राष्ट्रपति के नियंत्रण के अधीन और अगले आदेशों तक, असम के उदालगुडी जिले के हात्तीगोर स्थित मिलिट्री स्टेशन में आर्टिलरी ब्रिगेड की इकाइयों के अवस्थापन हेतु "की लोकेशन प्लान" की स्थापना के लिए 333.662 एकड़ निजी भूमि के अर्जन के संबंध में, उक्त अधिनियम के अधीन 'समुचित सरकार' की शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा उसके कार्यों का निर्वहन करेगा।

[फा. सं. 13014/01/2026- एलआरडी]

पी. नरहरि, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT**(Department of Land Resources)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 12th June, 2026

S.O. 3061(E).— In exercise of the powers conferred by sub-clause (v) of clause (e) of section 3 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013), the Central Government hereby notifies that the Ministry of Defence shall, subject to the control of the President and until further orders, exercise the powers and discharge the functions of the 'appropriate Government' under the said Act for acquisition of private land measuring 333.662 acres at Hattigor, Udalguri District, Assam for establishment of Key Location Plan to locate units of Artillery Brigade at Military Station, Hattigor, Assam.

[F. No. 13014/01/2026-LRD]

P NARAHARI, Jt. Secy.